पत्र संख्या–जी0एस0टी0 / 2018–19 / 1196 / 1819097 वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 05 फरवरी, 2019

समस्त जोनल एडी0-कमि0 ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त एडी0कमि0 ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक / कार्पोरेट), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑनलाइन रिफण्ड मॉड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–क0नि0–4–785 / 2018–300(5) / 18 दिनांक 20 जुलाई, 2018 के अनुक्रम में मैनुअल रिफण्ड प्रक्रिया की अवधि बढाये जाने विषयक।

इस कार्यालय के परिपत्र सख्या– जी0एस0टी0 / 2017–18 / 1449 वाणिज्य कर, दिनांक 23.02.2018 द्वारा जीरो रेटेड सप्लाई के साथ–साथ इन्वर्टेट ड्यूटी स्ट्रक्चर, डीम्ड निर्यात तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त आई0टी0सी0 होने पर रिफण्ड क्लेम करने हेतु मैनुअल प्रार्थना–पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया एवं उसके निस्तारण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र के साथ शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219 / 11–2018 / 300(5) / 18 दिनांक 23.02.2018 तथा तद्क्रम में जारी शुद्धि–पत्र शासनादेश संख्या क0नि0–4–282 / 11–2018 / 300(5) / 18 दिनांक 21.03.2018 द्वारा मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा पुनः शासनादेश संख्या– क0नि0–4–785 / 2018–300(5) / 18 दिनांक 20 जुलाई, 2018 के माध्यम से मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 31.12.2018 तक के लिए लागू किया गया था, जिसे अब सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–क0नि0–4–08 / 11–2019–300(5) / 18 दिनांक 05 फरवरी, 2019 द्वारा दिनांक 30.06.2019 तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस पत्र के साथ कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05 फरवरी, 2019 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि अपने जोन के अंतर्गत सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05 फरवरी, 2019 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी इस कार्यालय–ज्ञाप के आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार(कार्यालय–ज्ञाप)।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0 प0सं0 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05 फरवरी, 2019 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी अपने स्तर से सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबंधन अनुभाग–4
संख्या–क0नि0–4–08/11–2019–300(5)/18
लखनऊ:दिनांक 05 जनवरी, फरवरी 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वाणिज्य कर विभाग मे जी.एस.टी.एन.के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रकिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219/11–2018–300(5)/2018, दिनॉक–23.02.2018, तथा शुद्धि पत्र संख्या–क0नि0–4–282/11–2018/300(5)/18 दिनांक–21.03.2018 निर्गत किया गया है।

2– शासनादेश दिनांक–23.02.2018 के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(3) में मैनअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक–30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था, जिसे शासनादेश दिनांक 20.07.2018 द्वारा इस प्रकिया को दिनांक 31.12.2018 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया, अब सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक–30.06.2019 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उक्त शासनादेश दिनॉक–23.02.2018 व शुद्धि पत्र दिनांक–21.03.2018 की शेष अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–एफ0ए0–1–37/दस–2019, दिनॉक–05 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

सं0–क0नि0–4–08(1)/11–2019, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहबाद।
2–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
4–एडिशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6–गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।